रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14052022-235780
CG-DL-W-14052022-235780

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, मई 1— मई 7, 2022, शनिवार/ वैशाख 11—वैशाख 17, 1944
No. 17] NEW DELHI, MAY 1—MAY 7, 2022, SATURDAY/VAISAKHA 11–VAISAKHA 17, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 67.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग असांविधिक विभागीय कैंटीन भर्ती नियम, 2015 के नियमों में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **सक्षिंप्त नाम और प्रारंभ –**

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, असांवधिक विभागीय कैंटीन भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 कहा जाता है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,** कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग के असांविधिक विभागीय कैंटीन भर्ती नियम, 2015 में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियमों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपबंद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, असांविधिक विभागीय कैंटीन भर्ती नियम, 2015 की 'अनुसूची' में :-

(क) प्रबंधक श्रेणी-II से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने.-

(i) स्तंभ (4) में स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर -6 (35400-112400 रु.)"

(ii) स्तंभ (11) में, "(वेतन बैंड-1 5200-20200 रु.)" और "ग्रेड वेतन 2400/-रु. और 2800/- रु." शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के लिए, दोनों स्थानों पर जहां कहीं भी आते हैं उनके स्थान पर क्रमशः "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4, 25500 रु.-81100 रु. और स्तर-5, 29200 रु.-92300 रु." शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(ख) सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी के पद से संबंधित क्रमांक 2 के सामने.-

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर -4 (25500-81100 रु.)"

(ii) स्तंभ (11) में, "वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.)" और "ग्रेड वेतन 1900/- रु. और 2000/- रु." शब्दों, कोष्ठकों और अंकों दोनों स्थानों पर जहां कहीं भी आते है, उनके स्थान क्रमशः "वेतन मैट्रिक्स में "स्तर-2 (19900-63200 रु.) और स्तर-3, 21700-69100 रु." शब्दों, और अंको को रखा जाएगा ।

(ग) लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने.-

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर -2 (19900-63200 रु.)”

(ii) स्तंभ (11) में, “वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.)” और “ग्रेड वेतन 1800/- रु.” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(घ) हलवाई-सह-रसोइया पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने.-

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ, शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् .-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर -3 (21700-69100 रु.)”

(ii) स्तंभ (11) में, “वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.)” और “ग्रेड वेतन 1900/- रु.” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900 रु.-63200 रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(उ.) सहायक हलवाई-सह-रसोइया के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने.-

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ, शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर -2 (19900-63200 रु.)”

(ii) स्तंभ (11) में, “वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) और ग्रेड वेतन 1800/- रु.)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के दोनो स्थान पर जहां वे आते हैं, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000 रु0-56900 रु.)” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(च) कैंटीन परिचारक के पद से संबंधित क्रम संख्या 6 के सामने.-

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ, शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ, शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर -1 (18000-56900 रु.)”

(छ) प्रबंधक श्रेणी-II, के पद से संबंधित क्रम संख्या 1,2,3,4 और 5 के सामने स्तंभ (11) में सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी, लिपिक, हलवाई-सह-रसोइया और सहायक हलवाई-सह-रसोइया, “प्रतिनियुक्ति” उप-शीर्षक के अधीन, “टिप्पण 2:” और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(ज) प्रबंधक श्रेणी-II, के पदों से संबंधित क्रम संख्या 1,2,4 और 5 के सामने स्तंभ (11) में सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी, हलवाई-सह-रसोइया और सहायक हलवाई-सह-रसोइया, के सामने उप-शीर्षक “प्रतिनियुक्ति”“टिप्पण 4” और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

तारीख 29.04.2022

[फा. सं. 39021/05/2020-स्था.(बी)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 817 (अ.) के तहत भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 29th April, 2022

G.S.R. 67.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Staff Selection Commission, Non-Statutory Departmental Canteen Recruitment Rules, 2015, namely-

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Staff Selection Commission, Non-Statutory Departmental Canteen Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Staff Selection Commission, Non-Statutory Departmental Canteen Recruitment Rules, 2015, for rule 3, the following rules shall be substituted namely:-

3. Number of posts, classification and level in pay matrix – The number of posts, its classification and the Level in the pay matrix attached thereto shall as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. In the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Staff Selection Commission, Non-Statutory Departmental Canteen Recruitment Rules, 2015 in the ‘SCHEDULE’

(a) against serial number 1 relating to the post of Manager Grade-II.-

(i) In column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column, heading and entries shall be substituted, namely :-

“Level in pay matrix
(4)
Level-6 (Rs.35400-112400)”

(ii) In column (11), for the words, brackets and figures “Pay band-I Rs.5200-20200 and Grade Pay of Rs.2400/- and Rs.2800/- at both the places they occur, the words “Level-4 Rs.25500-81100, and “Level-5 Rs.29200-92300 in the pay matrix respectively shall be substituted.

(b) against serial number 2 relating to the post of Assistant Manager-cum Store Keeper.-

(i) in column (4), for the column, heading and the entries relating thereto, the following column, heading and entries shall be substituted, namely :-

“Level in pay matrix
(4)
Level-4 (Rs.25500-81100)”

(ii) in column (11), for the words, brackets and figures “Pay band-I (Rs.5200-20200) and Grade Pay of Rs.1900/- and Rs.2000/- at both the places they occur, the words “Level-2 Rs.19900-63200 and “Level-3 Rs.21700-69100 in the pay matrix” respectively shall be substituted.

(c) against serial number 3 relating to the post of Clerk .-

(i) in column (4), for the column, heading and the entries relating thereto, the following column, heading and entries shall be substituted, namely :-

“Level in pay matrix
(4)
Level-2 (Rs.19900-63200)”

(ii) in column (11), for the words, brackets and figures “Pay band-I Rs.5200-20200 and Grade Pay of Rs.1800/-, the words “Level-1 Rs.18000-56900 in the pay matrix” shall be substituted.

(d) against serial number 4 relating to the post of Halwai-cum-Cook.-

(i) in column (4), for the column, heading and the entries relating thereto, the following column, heading and entries shall be substituted, namely :-

“Level in pay matrix
(4)
Level-3 (Rs.21700-69100)”

(ii) in column (11), for the words, brackets and figures “Pay band-I Rs.5200-20200 and grade pay of Rs.1900/- at both the places they occur, the words “Level-2 Rs.19900-63200 in the pay matrix” shall be substituted.

(e) against serial number 5 relating to the post of Assistant Halwai-cum-Cook.-

(i) in column (4), for the column, heading and the entries relating thereto, the following column, heading and entries shall be substituted, namely :-

“Level in pay matrix
(4)
Level-2 (Rs.19900-63200)”

(ii) in column (11), for the words, brackets and figures "Pay band-I Rs.5200-20200 and Grade Pay of Rs.1800/-" at both the places they occur , the words "Level-1 Rs.18000-56900 in the pay matrix" shall be substituted.

(f) against serial number 6 relating to the post of Canteen Attendant.-
(i) in column (4), for the column, heading and the entries relating thereto, the following column, heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix
(4)
Level-1 (Rs.18000-56900)"

(g) against serial number 1,2,3,4, & 5 relating to the posts of Manager Grade – II, Assistant Manager-cum-Store Keeper, Clerk, Halwai-cum-Cook and Assistant Halwai-cum-Cook in column(11), under sub-heading "Promotion" the "Note 2:" and the entries relating thereto shall be omitted;

(h) against serial number 1,2,4 & 5 relating to the posts of Manager Grade-II, Assistant Manager-cum-Store Keeper, Halwai-cum-Cook and Assistant Halwai-cum-Cook, in column (11), under sub-heading "Deputation", the "Note 4:" and the entries relating thereto shall be omitted.

Dated 29.04.2022

[F. No. 39021/05/2020-Estt. (B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

Note :- The principal rules were published vide notification number GSR 817(E) dated 29th October, 2015 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section(i).

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 68.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का (प्रधान लिपिक) अराजपत्रित पद, भर्ती नियम, 2002, का अधिक्रांत करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, बाबनपुर (आस्का), ओडीशा में प्रधान लिपिक के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, बाबनपुर (आस्का), ओडीशा, प्रधान लिपिक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**
1	2	3
प्रधान लिपिक	01*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स का स्तर	**क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद**	**आयु- सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा**
4	5	6
वेतन मैट्रिक्स (35400/-रु. – 112400/-रु.) में स्तर-6	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यता	**क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति वाले मामले में लागू होगी।**	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।
11
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में (25,500-81100/- रुपए(में स्तर-4 में ऐसा अपर श्रेणी लिपिक जिसने उस ग्रेड में दस वर्ष नियमित सेवा की हो; और विभाग द्वारा यथा विहित सुसंगत क्षेत्र 2-4 सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति :-** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (29,200-92,300/- रुपए) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (25,500-81,100/- रुपए) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 10 वर्ष की सेवा की है ; या (ख) निम्नलिखित अहर्ता और अनुभव रखते हो :- (i) किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री। (ii) प्रशासनिक और स्थापन मामले में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :- 1. उप महानिदेशक, स्वास्थय सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष 2. निदेशक , क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का- सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श जरूरी नहीं है ।

3. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का – सदस्य 4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का - सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-** 1. उप महानिदेशक, स्वास्थय सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष 2. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का - सदस्य 3. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का – सदस्य 4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का - सदस्य	

[फा. सं.ए-12018/44/2018-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 29th April, 2022

G.S.R. 68—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Orissa (Head Clerk), Non-gazetted post, Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Clerk in the Regional Leprosy Training and Research Institute, Babanpur (Aska), Odisha, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Babanpur (Aska), Odisha, Head Clerk (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification
(1)	(2)	(3)
Head Clerk	01*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.

Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(4)	(5)	(6)
Level- 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400/-).	Selection post.	Not applicable.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Age-limit for direct recruits.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation	**Promotion:** Upper Division Clerk in level-4 in the pay matrix (Rs.25,500-81100/) with ten years regular service in the grade; and successfully completed 2-4 weeks mandatory training in the relevant field as prescribed by the department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying /eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service

	Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department or; (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29,200-92,300) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following qualification and experience :- (i) Bachelor Degree from a recognized University or Institute. (ii) Two years experience in administrative and establishment matters. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of - 1. Deputy Director General (Leprosy), Directorate General of Health Services – Chairman 2. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Member 3. Deputy Director/ Assistant Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Member 4. Chief medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Member.	Consultation with UPSC is not necessary.

Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Deputy Director General (Leprosy), Directorate General of Health Services – Chairman 2. Director (Leprosy), Directorate General of Health Services – Member 3. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Member 4. Chief Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Member.	

[F. No. A-12018/44/2018-Lep.]

SHORAN SINGH, Under Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 मई, 2022

सा.का.नि. 69.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नागर विमानन मंत्रालय, रेल संरक्षा आयोग समूह 'बी' (अराजपत्रित पदों) भर्ती नियम 2003, जहां तक वे संबंधित हैं, के अधिक्रमण में कार्यालय अधीक्षक का पद, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, राष्ट्रपति, नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत रेल संरक्षा आयोग के परिमण्डल कार्यालयों में कार्यालय अधीक्षक पदों की भर्ती की पद्धति में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**:- (1) इन नियमों का नाम, नागर विमानन मंत्रालय, रेल संरक्षा आयोग (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं इत्यादि**:- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति या पद के बाबत शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गो और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कार्यालय अधीक्षक	10 (2022)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	**साधारण केन्द्रीय सेवा,** अराजपत्रित ग्रुप 'बी' अनुसचिवीय	लेवल-6 (₹ 35400-112400)	चयन पद

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
(6)	(7)
लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए पदोन्नति वालों के आवेदन देने के मामले में निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हता	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति,** भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जानें वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	दो	पद्धति पदोन्नति असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
पदोन्नति: प्रवर श्रेणी लिपिक वेतन मैट्रिक्स में लेवल 4 (₹25,500/- - 81,100/-) परिमण्डल कार्यालय में ग्रेड में दस साल की नियमित सेवा के साथ जिसमें रिक्ति होती है और प्रशासन या स्थापना या नकद, बजट और खातों से संबंधित दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। **नोट 1:** जहां कनिष्ठों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा से ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो साल से कम न हों, जो भी कम हो, और अपने कनिष्ठों के साथ अगली कक्षा में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति:

केंद्र सरकार या राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी

(क) (1) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना; या

(2) मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष या वेतन मैट्रिक्स में लेवल 5 (₹29,200/- - 92,300/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद संवर्ग में छह साल की नियमित सेवा के साथ; या

(3) मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष या वेतन मैट्रिक्स में लेवल 4 (₹25,500/- - 81,100/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद संवर्ग में दस साल की नियमित सेवा के साथ, और

(ख) प्रशासन या स्थापना या नकद या बजट या खातों में दो साल का अनुभव।

नोट 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य एक्स-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
(12)
विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति और पुष्टि हेतु) की संरचना :- 1. परिमण्डल कार्यालय का रेल संरक्षा आयुक्त जहां रिक्ति है -अध्यक्ष 2. रेल संरक्षा उपायुक्त (सामान्य) -सदस्य 3. नागर विमानन मंत्रालय में रेल संरक्षा को संभालने वाला निदेशक या उप सचिव -सदस्य

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

[फा. सं. ए-75/2/2019-आर.एस.]

अमित कुमार झा, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 5th May, 2022

G.S.R. 69.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Civil Aviation, Commission of Railway Safety Group 'B' (Non-Gazetted posts) Recruitment Rules 2003, so far as they relate to the post of Office Superintendent, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Office Superintendent in Circle Offices of the Commission of Railway Safety in the Ministry of Civil Aviation, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation, Commission of Railway Safety (Office Superintendent) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Classification and level in pay matrix.-The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other Person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person or posts.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Office Superintendent.	10 (2022)* *Subject to variation dependent on workload.	**General Central Service**, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	level-6 (Rs. 35400 – 112400)	Selection Post

Age-limits for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two	Method
		Promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)

Promotion:

Upper Division Clerk in level 4 (Rs. 25,500/- – 81,100/-) in pay matrix with ten years regular service in the grade in the circle office in which the vacancy occurs and having successfully completed two or four weeks training relating to administration or establishment or cash, budget and accounts.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

Officers of Central Government or State Government and Union Territories

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with six years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 5 (Rs. 29,200/- – 92,300/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 4 (Rs. 25,500/- – 81,100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. and

(b) two years experience in administration or establishment or cash or budget or accounts.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
(12)

Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:-

1.	Commissioner of Railway Safety of the Circle office where the vacancy exists	-Chairperson
2.	Deputy Commissioner of Railway Safety (G)	-Member
3.	Director or Deputy Secretary handling Railway Safety in Ministry of Civil Aviation.	-Member

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not Necessary

[F. No. A-75/2/2019-RS]

AMIT KUMAR JHA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.05.14 11:55:38 +05'30'